



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938

No. 809]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/CHAITRA 15, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

का.आ.1298(अ).- यतः, मै. चैयार एस.ई.जेड डवलपर्स लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य के सिपकोट औद्योगिक विकास केन्द्र बरगुर, उथनगरई एवं पोचामपल्ली, कृष्णागिरी जिला में फुटवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 13 नवंबर, 2015 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त स्थान के 59.3.98 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नंबर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

तालिका

क्र.स.	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पोचामपल्ली तालुक में बालेथोट्टम गाँव	641 पार्ट	0.005
2.		642 पार्ट	0.010
3.		643 पार्ट	1.845
4.		726 पार्ट	6.265
5.	उथनगरई, तालुक में ओलायपट्टी गाँव	1 पार्ट	0.355

6.		2 पार्ट	2.78
7.		3 पार्ट	2.310
8.		4 पार्ट	1.980
9.		7 पार्ट	1.565
10.		21 पार्ट	1.990
11.		22	2.970
12.		23 पार्ट	0.340
13.		25 पार्ट	3.620
14.		26	3.950
15.		27 पार्ट	2.830
16.		28 पार्ट	3.150
17.		29 पार्ट	2.455
18.		29/1	1.108
19.		30	2.390
20.		31 पार्ट	5.040
21.		32 पार्ट	1.580
22.		33 पार्ट	3.270
23.		49 पार्ट	0.520
24.		50 पार्ट	0.320
25.		59 पार्ट	3.610
26.		60 पार्ट	3.140
		कुल	59.3.98

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 30 मार्च, 2016 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 77 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा.सं.एफ. 1/5/2015-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

S. O. 1298(E). - Whereas, M/s. Cheyyar SEZ Developers Pvt. Ltd. has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Footwear at SIPCOT Industrial Growth Centre, Bargur, Uthangarai and Pochampalli Taluk, Krishnagiri District, in the State of Tamil Nadu;

And, Whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 13th November, 2015;

Now, Therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the 59.3.98 hectares area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

Table

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Balethottam	641P	0.005
2.		642P	0.010
3.		643P	1.845
4.		726P	6.265
5.	Olapatti	1P	0.355
6.		2P	2.78
7.		3P	2.310
8.		4P	1.980
9.		7P	1.565
10.		21P	1.990
11.		22	2.970
12.		23P	0.340
13.		25P	3.620
14.		26	3.950
15.		27P	2.830
16.		28P	3.150
17.		29P	2.455
18.		29/1	1.108
19.		30	2.390
20.		31P	5.040
21.		32P	1.580
22.		33P	3.270
23.		49P	0.520
24.		50P	0.320
25.		59P	3.610
26.		60P	3.140
		Total	59.3.98

And, Therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval

Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member <i>ex officio</i> ;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member <i>ex officio</i> ;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member <i>ex officio</i> ;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member <i>ex officio</i> ;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 30th day of March, 2016 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/5/2015-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.